जन औषधि केंद्र होंगे और करीब

46 बड़े शहरों को छूट मिली 1 किमी दूरी की बाधा हटी

2 साल पुराने केंद्रों को मिली राहत

नई दिल्ली, 11 सितंबर. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत चल रहे जन औषधि केंद्रों की पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है.

अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे सात महानगरों के साथ-साथ देश के 46 मिलियन-प्लस शहरों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम दूरी की शर्त को समाप्त कर दिया गया है. महानगरों और बड़े शहरों में अब जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दूरी की बाधा नहीं होगी. केंद्र सरकार ने इस कदम से सस्ती दवाओं की पहुंच और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है. जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाएं बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50% तक सस्ती होती हैं. सरकार के इस कदम से इन दवाओं की उपलब्धता और बढ़ेगी, खासकर घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में. हालांकि, पहले से खुले केंद्रों के पास दो साल तक नए केंद्र नहीं खोले जा सकेंगे, जब तक उनकी अवधि पूरी नहीं हो जाती. यह छूट सिर्फ उन्हीं केंद्रों पर लागू होगी जो दो साल से पुराने हैं.

इस फैसले से एक ओर जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं छोटे उद्यमियों को बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ सकता है. कई छोटे केंद्र संचालकों ने चिंता जताई है कि यदि बड़े समूह एक ही इलाके में कई केंद्र खोलते हैं, तो उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है. फिलहाल, छोटे शहरों और कस्बों में पुरानी दूरी की शर्तें बरकरार रहेंगी.

सोना-चांदी के दाम पहुंचे ऐतिहासिक ऊंचाई पर

नई दिल्ली, 12 सितंबर. घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया. 24 कैरेट सोना पहली बार 1,11,000 प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,02,000 प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच गया है. वहीं, चांदी 2,100 की बढ़त के साथ 1,32,000 प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई. देशभर के प्रमुख शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई है.

तेजी के इस रुझान के पीछे वैश्विक बाजार में सुरक्षित निवेश की मांग, डॉलर में कमजोरी, और मांग में बढ़ोतरी जैसे कारक बताए जा रहे हैं. साथ ही, त्योहारी सीजन नजदीक होने के कारण भी खरीदारों की रुचि बढ़ी है.

एयर इंडिया में अब सीटा का ऑप्टीफ्लाइट सिस्टम

ईडब्ल्यूएएस से पायलट को मिलेगा मौसम का अलर्ट

हर साल बचेगा 11,100 टन जेट ईंधन

नयी दिल्ली, 12 सितंबर. विमान अब सिर्फ गंतव्य तक नहीं ले जाते, वे तकनीक और पर्यावरण के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करने लगे हैं.

टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने बेड़े को स्मार्ट और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए दो अत्याधुनिक सिस्टम- सीटा ऑप्टीफ्लाइट और ईडब्ल्यूएएस- अपनाने की घोषणा की है. इससे उड़ानें न केवल अधिक कुशल होंगी, बल्कि ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कटौती होगी. एयर इंडिया ने अपने बेड़े में तकनीकी नवाचार के तहत स्विट्ज़रलैंड की कंपनी सीटा द्वारा विकसित दो अत्याधुनिक प्रणालियाँ—ऑप्टीफ्लाइट और ईडब्ल्यूएएस —को लागू किया है. इन प्रणालियों के माध्यम से एयरलाइन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और उड़ानों को अधिक कुशल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है.

सीटा ऑप्टीफ्लाइट एक क्लाइम ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल है जो पायलटों को ऊँचाई परिवर्तन के सबसे कुशल विकल्प सुझाता है. इसके चलते ईंधन की खपत घटती है और विमान की परफॉर्मेंस बेहतर होती है.

वहीं, ईडब्ल्यूएएस मौसम की वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करता है, जिससे पायलट टर्बुलेंस जैसे खतरों से बचने के लिए समय रहते मार्ग बदल सकते हैं. एयर इंडिया ने बताया कि इन दोनों प्रणालियों के जरिये हर साल 11,100 टन जेट ईंधन की बचत और 35,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य रखा गया है. शुरुआत में यह तकनीक एयर इंडिया के सभी एयरबस 320 और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग 737 विमानों में सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी है. वाइड बॉडी विमानों पर यह कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा. एयर इंडिया के मुख्य परिचालन अधिकारी बासिल क्वाउक ने कहा, ये कदम हमारे विजन का हिस्सा हैं जिसमें हम एयर इंडिया को न केवल विश्व स्तरीय बनाना चाहते हैं, बल्कि उसे पर्यावरण के प्रति भी ज़िम्मेदार बनाना चाहते हैं.

फोनपे और वाधवानी की साझेदारी

तीन महीने तक फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा

इंडस ऐप्स्टोर पर जीरो लिस्टिंग फीस का लाभ

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (वार्ता) फोनपे पेमेंट गेटवे ने वाधवानी फाउंडेशन के दो प्रमुख कार्यक्रमों लिफ्टऑफ और एक्सेलरेट को अपने डिजिटल भुगतान समाधानों और इंडस ऐप स्टोर के साथ जोड़ने के लिए एक करार किया है. फोनपे ने शुक्रवार को बताया कि इस करार का उद्देश्य उद्यमियों और व्यापारियों को आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करना है.

स्टार्टअप और छोटे तथा मध्यम उद्यमों को पहले तीन महीने के लिए बिना किसी शुल्क के लेनदेन सुविधा, आसान ऑनबोर्डिंग और समर्पित सहायता जैसी सुविधायें मिलेंगी. यह पहल छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल भुगतान, पूंजी, ग्राहकों और बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी. अब फोनपे के पेमेंट गेटवे और इंडस ऐप्स्टोर से जुड़ने पर इन उद्यमियों को डिजिटल ढांचा और वितरण का लाभ भी मिलेगा. ऐप आधारित स्टार्टअप्स इंडस ऐप्स्टोर पर अपने ऐप को आसानी से सूचीबद्ध कर पायेंगे, जिसमें भारतीय डेवलपर्स के लिए शून्य लिस्टिंग फीस और चौबीसों घंटे सहयोग जैसी सुविधायें हैं.

इंफोसिस 10 करोड़ शेयर खरीदेगी

बेंगलुरु, 12 सितंबर. देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने 10 करोड़ शेयर 1,800 रुपये प्रति शेयर की प्रीमियम दर पर वापस खरीदने की घोषणा की है. कंपनी के निदेशक मंडल की गुरुवार शाम हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी. कंपनी ने बताया कि वह 1,800 रुपये प्रति शेयर की दर से 10 करोड़ शेयर खरीदेगी. बीएसई में कल कंपनी के शेयर 1,509.50 रुपये के भाव पर बंद हुये थे. रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जायेगी. कंपनी के पांच रुपये अंकित मूल्य वाले ये इक्विटी शेयर उसके कुल इक्विटी शेयर का 2.41 प्रतिशत हैं. फिलहाल इंफोसिस के 4,15,43,92,203 शेयरों में 13.05 प्रतिशत 26 प्रवर्तकों के

विदेशी मुद्रा भंडार 4 .038 अरब डॉलर बढ़ा

लगातार दूसरे सप्ताह दिखी मजबूती, गोल्ड रिजर्व अहम

आरबीआई के हस्तक्षेप की क्षमता में इजाफा

मुंबई, 12 सितंबर. देश का विदेशी मुद्रा भंडार 05 सितंबर को समाप्त में 4.038 अरब डॉलर बढ़कर नौ सप्ताह के उच्चतम स्तर 698.268 अरब डॉलर पर पहुंच गया.विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि हुई है.

इससे पहले, 29 अगस्त को समाप्त सप्ताह में यह 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर रहा था.विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान स्वर्ण भंडार का रहा.रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 05 सितंबर को समाप्त सप्ताह में स्वर्ण भंडार 3.53 अरब डॉलर बढ़कर 90.299 अरब डॉलर हो गया.विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 54 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 584.477 अरब डॉलर पर रहा.विदेशी मुद्रा भंडार के अन्य घटकों में विशेष आहरण अधिकार 3.4 करोड़ डॉलर घटकर 18.742 अरब डॉलर रह गया जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित निधि 20 लाख डॉलर बढ़कर 4.751 अरब डॉलर हो गयी.

विदेशी मुद्रा भंडार पिछले कुछ समय से 700 अरब डॉलर के करीब बनी हुई है.यह 11 महीने के आयात बिल के भुगतान के लिए पर्याप्त है.मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से रिजर्व बैंक के पास रुपये में किसी तेज गिरावट को रोकने के लिए हस्तक्षेप की गुंजाइश बढ़ जाती है.

कोल इंडिया में हर कर्मचारी को मिलेगा बीमा कवर

श्रमिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि रुपए 15 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए

रांची, 12 सितंबर केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को घोषणा की कि कोल इंडिया लिमिटेड खदान दुर्घटनाओं की स्थिति में श्रमिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को रुपए 15 लाख से बढ़ाकर रुपए 25 लाख करने जा रही है. यह कदम 17 सितंबर से लागू होगा, जो विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है.

मंत्री ने यह भी कहा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार सभी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए वर्दी अनिवार्य कर रही है. इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर अनुशासन, एकता और समानता की भावना को बढ़ावा देना है. रेड्डी ने बताया कि कोल इंडिया के स्थायी कर्मचारियों के लिए रुपए 1 करोड़ और संविदा कर्मचारियों के लिए ?40 लाख का अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवर भी 17 सितंबर से लागू किया जाएगा. इस मौके पर कोल इंडिया के चेयरमैन पी. एम. प्रसाद भी उपस्थित थे. उन्होंने कंपनी की इस ऐतिहासिक पहल की सराहना की.

मंत्री ने कहा कि भारत कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने को लेकर प्रतिबद्ध है. सरकार ने पिछले साल कोयला आयात में कटौती कर ?60,000 करोड़ की बचत की. सरकार राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत 32,000 करोड़ खर्च कर रही है. इसके तहत अर्जेंटीना और जाम्बिया में खनिजों की खोज शुरू हो चुकी है. इस योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जा रहा है.

फोर्स मोटर्स ने 6 .81 लाख रुपये तक घटाये दाम

नयी दिल्ली, 12 सितंबर. वस्तु एवं सेवा कर में वाहनों पर कर में कटौती के बाद फोर्स मोटर्स ने शुक्रवार को अपने यात्री वाहनों के दाम 6.81 लाख रुपये तक कम करने की घोषणा की. कंपनी ने बताया है कि ट्रैवलर मॉडल के विभिन्न संस्करणों की कीमत 1.18 लाख रुपये से 4.52 लाख रुपये तक कम की गयी है.

ट्रैक्स के दाम 2.54 लाख रुपये से 3.21 लाख तक और मोनोबस के 2.25 लाख रुपये से 2.66 लाख रुपये तक कम किये गये हैं. अरबेनिया के दाम 2.47 लाख से 6.81 लाख रुपये तक और गुरखा के 92.9 हजार रुपये से 1.25 लाख रुपये तक कम किये गये हैं. फोर्स मोटर्स की विज्ञप्ति में कहा गया है कि नयी कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.

महिलाओं को लखपति बनने के लिए सशक्त बना रहा स्वयंश्री कार्यक्रम

भोपाल, 12 सितंबर 2025- रिलायंस फाउंडेशन और गेट्स फाउंडेशन द्वारा MPSRLM (मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) के सहयोग से संचालित स्वयंश्री कार्यक्रम ने अब तक मध्य प्रदेश में 3.8 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनने की दिशा में सशक्त बनाया है।

इस अवसर पर भोपाल में स्वयंश्री सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नीति निर्माताओं, सामाजिक संस्थाओं, उद्योग जगत और महिला समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और महिलाओं की आजीविका को मज़बूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की. सम्मेलन में बोलते हुए MPSRLM की सीईओ सुश्री हर्षिका सिंह (आईएएस) ने कहा कि स्वयंश्री कार्यक्रम ने महिलाओं को अपनी पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर नए सपने देखने की प्रेरणा दी है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों और संघों के माध्यम से लाखों महिलाएँ अपनी आय बढ़ाने के काम में जुड़ी हैं और यह मॉडल जिले और राज्य स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। रिलायंस फाउंडेशन की महिला सशक्तिकरण प्रमुख सुश्री एन. दीप्ति रेड्डी ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने और उनकी आय में सुधार करने का एक मज़बूत साधन है। उन्होंने बताया कि संगठन का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाकर उनकी वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। गेट्स फाउंडेशन के निदेशक श्री अलकेश वाधवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लखपति दीदी विज़न से प्रेरित होकर स्वयंश्री कार्यक्रम महिलाओं के लिए स्थायी आय के अवसर बना रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार,

महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया

कार्यक्रम के दौरान 'महिलाओं की आजीविका को मज़बूत बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सर्वोत्तम प्रथाएँ' नामक एक संग्रह भी जारी किया गया। इसमें स्वयंश्री कार्यक्रम से उभरे बारह प्रमुख उद्यमों के अनुभव शामिल हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वयंश्री कार्यक्रम वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश, गुजरात और ओडिशा की दस लाख महिलाओं तक पहुँचना है और उनकी घरेलू आय को न्यूनतम एक लाख रुपये वार्षिक तक बढ़ाना है। यह कार्यक्रम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से लागू किया जा रहा

बिहार में भाजपा का युवा दांव !

पटना. बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ होते ही भाजपा ने युवाओं को साधने का प्लान बनाया है.भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 14 क्षेत्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. उद्देश्य है युवाओं को भाजपा की नीतियों से जोड़ना और इंडी गठबंधन के दावों का पर्दाफाश करना. भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी साझा की. सम्मेलन पहले चरण में 14 जिलों में आयोजित होंगे. प्रत्येक जिले में भाजपा और युवा मोर्चा के बड़े नेता मौजूद रहेंगे. इन सम्मेलनों में भाजपा के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कद्दावर नेता शामिल होंगे.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
CIN L65110TN2014PLC097792,
पंजीकृत कार्यालयः - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,
चेटपेट, चेन्नई-600031. टेलीफोनः +91 44 4564 4000 फैक्सः +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
कब्जे का नोटिस
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और गारंटीकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे संलग्न मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है।
ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

ऋण खाता संख्या	खाता सह-उधारकर्ता/ओं का नंबर और गारंटर नाम	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस: दिनांक	मांग नोटिस: बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि और प्रकार
69712876	1. अंतर सिंह राम सिंह, 2. लक्ष्मी बाई	मकान संख्या 95 का वह पूरा टुकड़ा, जो सर्वे संख्या 56, ग्रामः चौहान खेड़ी, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश-452016 पर स्थित है, कुल क्षेत्रफल 675 वर्ग फुट है, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः सत्यनारायण का मकान, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः स्वयं की भूमि	23.12.2023	रू. 2,57,272.35/-	10-09-2025 भौतिक कब्जा
59629076	1. इसराइल लाल मोहम्मद, 2. मदीना लाल मोहम्मद	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जो प्लॉट संख्या 34 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1716 वर्ग फुट, यानी 159.42 वर्ग मीटर है, भूमि सर्वेक्षण संख्या 82/1, पी.एच. न. 11, ग्राम जाखूखेड़ी ग्राम पंचायत जाखूखेड़ी, तहसील महू, जिला. इंदौर, मध्य प्रदेश, 453661, और पूर्व में घिराः आशिक पश्चिमः अलादीन, उत्तरः खाली जगह दक्षिणः सार्वजनिक सड़क	22.03.2023	रू. 4,93,775.85/-	09-09-2025 भौतिक कब्जा

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन-देन पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तारीख से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क का प्रभार लगाया जाएगा।

दिनांकः 09 एवं 10.09.2025
स्थानः मध्य प्रदेश

अधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड -27, विकसित औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600032
संपर्क नं. राजेश चकोटिया 8435571111 (आरआरएम) श्री वैभव श्रीवास्तव (आरएलएम) 7987969803, सुश्री अंकिता पाटिल - 7723055195 (सीएलएम), श्री गोविंद चौहान 8962816436 (सीआरएम)

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत एचएचएफएल को सौंपी गई अचल संपत्तियों की बिक्री।

एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूची संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध है, एचएचएफएल को "जहां है, जैसा है" और "जो है, जैसा है" के आधार पर अपने बकाया की वसूली के लिए सहमत शर्तों के अनुसार।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:
1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जहां है, जैसा है" और "जो है, जैसा है, जैसा है" के आधार पर होगी।
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए एचएचएफएल द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मूल्य का 25% और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करानी होगी।
3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली 25% राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त खंड (2) के तहत अपेक्षित राशि का भुगतान न करने पर, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि के 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. एचएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह HHFL को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तरह से किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।
8. HHFL बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9.एक से अधिक प्रस्ताव के मामले में एचएचएफएल उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा
10. इच्छुक पक्ष आगे के विवरण/स्पष्टीकरण और अपना आवेदन जमा करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य खर्च, कर, शुल्क वहन करना होगा।
12. बिक्री SARFAESI अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम

ऋण आवेदन संख्याः MP/IDR/INDR/A000000844
1. श्री अजय भावसार 2. श्रीमती निधि कुमारी

आरक्षित मूल्यः ₹15,50,000 (केवल पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र)

संपत्ति का विवरणः फ्लैट संख्या 603, छठी मंजिल, "महामंगला श्री रेजीडेंसी ब्लॉक-ए", प्लॉट संख्या अ-09 पर, शंखेश्वर सिटी, ग्राम जख्या, तहसील सांवेर, इंदौर, क्षेत्रफल 530 वर्ग फुट। (सुपर बिल्ट-अप एरिया) निम्नलिखित चार सीमाओं से घिरा हैः पूर्वः- मार्ग, पश्चिमः- खुला, उत्तरः- फ्लैट संख्या 604, दक्षिणः फ्लैट संख्या 602

स्थानः इंदौर
दिनांकः 13.09.2025

एसडी/- अधिकृत अधिकारी
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव-122015 को गिरवी रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री। (हरियाणा) और शाखा कार्यालयः माहिर प्लाजा 81, लोकेंद्र टॉकीज के सामने, रतलाम (मध्य प्रदेश) 457001/ भूतल, प्लॉट संख्या 8/1 ए और 8/2 ए, अमर सिंह मार्ग फ्रीगंज, उज्जैन-456001/ 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत। जबकि IIFL-HFL के प्राधिकृत अधिकारी ("AO") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/संभावित संख्याओं में निम्नलिखित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। IIFL-HFL के बकाया की वसूली के लिए इन्हें "जहाँ है जैसा है वैसा है" के आधार पर और बिना किसी सहारे के बेचने का अधिकार है। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.iiflonehome.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
श्री गणेश राव श्रीमती सीता गणेश (प्रॉस्पेक्ट नं. 823261)	31-जुलाई-2021, रु.785240/- (सात लाख पिच्यासी हजार दो सौ चालीस मात्र) बोली वृद्धि राशि 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	प्लॉट संख्या 476, गिरिराज घाटी, ग्राम पिपलिया लोहार, इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश, भारत स्थित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट है।	28-अगस्त-25 कुल बकाया राशि रु.857026/- (आठ लाख सत्तावन हजार छब्बीस मात्र) दिनांक 06-08-2025 तक	रु.1008000/- (दस लाख आठ हजार मात्र) बयाना राशि जमा (EMD) रु.100800/- (एक लाख आठ हजार मात्र)
श्री पूजा चौरसिया (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10050473, IL10113886)	29-जुलाई-2025, रु.10,71,566/- (दस लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ छियासठ) बोली वृद्धि राशि 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र)	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका क्षेत्रफल फ्लैट संख्या T-306, तीसरी मंजिल, 450 वर्ग फुट का कारपेट एरिया और 541.22 वर्ग फुट का सुपर बिल्ट-अप एरिया है। फीट, ब्लॉक-एस, सुपर सिटी ढाबली (ज्ञानशीला होम्स-सिल्क स्पेस) नामक कॉलोनी में, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत, 452001	प्रतीकात्मक कब्जा 23-जून-2025 कुल बकाया रु.13,44,229/- (तेरह लाख चवालीस हजार दो सौ उनतीस मात्र) दिनांक 08-सितंबर-2025 तक	रु. 13,45,000/- (तेरह लाख पैंतालीस हजार मात्र) बयाना राशि जमा (EMD) रु.1,34,500/- (एक लाख चौंतीस हजार पाँच सौ मात्र)

उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/ गारंटर	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य
श्री पंकज सोनी राजश्री जी सोनी, श्रीमती महेंद्र सोनी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10158357)	18-अक्टूबर-2022, रु.1075297/- (दस लाख पिचहत्तर हजार दो सौ सत्तानवे मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	मकान संख्या 42/बी, क्रम संख्या 1023, 1024/ए और बी, सुदामा परिसर, रतलाम शहर, मंदिर के पास, मध्य प्रदेश, भारत, 457001, भूमि क्षेत्रफल 400 वर्ग फीट और निर्मित क्षेत्रफल 560 वर्ग फीट, संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा।	29-जुलाई-2025 कुल बकाया दिनांक 06-08-2025 रु.1114535/- (ग्यारह लाख चौदह हजार पाँच सौ पैंतीस मात्र)	रु. 934000/- (नौ लाख चौंतीस हजार मात्र) बयाना राशि जमा (EMD) रु. 93400/- (रु. तेरानवे हजार चार सौ मात्र)
श्री सत्यनारायण श्रीमती पवित्रा बाई वर्मा बाल सैलून (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10425486)	08-अक्टूबर-2024, रु.294554/- (दो लाख चौरानवे हजार पाँच सौ चौवन मात्र) बोली वृद्धि राशि रु. 20000/- (बीस हजार मात्र)	प्लॉट संख्या 458, वार्ड संख्या 25, पी.एच.एन. 49, ग्राम-कायथा, डामर रोड, तह.-तराना, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456001 क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र संपत्ति क्षेत्रः 897.00, 897.00	प्रतीकात्मक कब्जा 06-जनवरी-25 कुल बकाया दिनांक 06-08-2025 तक रु. 342780/- (तीन लाख बयालीस हजार सात सौ अस्सी मात्र)	रु. 359000/- (रुपये तीन लाख उनसठ हजार मात्र) बयाना राशि जमा (EMD) रु. 35900/- (पैंतीस हजार नौ सौ मात्र)

महत्वपूर्ण सूचनाः यह नीलामी SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जे के आधार पर प्रकाशित की गई है। भौतिक कब्जा धारा-14 के आदेश प्राप्त होने के बाद SARFAESI अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और भौतिक कब्जा प्राप्त होने पर ही दिया जाएगा। बोलीदाता नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने से पहले दस्तावेजों और वैधता के संबंध में आवश्यक जांच-पड़ताल करेगा।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि	ईएमडी की अंतिम तिथि	ई-नीलामी की तिथि/समय
13 अक्टूबर 2025 11:00 बजे से 14:00 बजे तक	15 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक।	17-अक्टूबर-2025 11:00 बजे-13:00 बजे।

भुगतान विधिः- EMD भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना है। भुगतान करने के लिए आपको https://www.iiflonehome.com पर जाना होगा और केवल संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा। नोटः प्रत्येक संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिए भुगतान लिंक अलग-अलग है। सुनिश्चित करें कि आप उस संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। शेष भुगतान के लिए - https://www.iiflonehome.com पर लॉग इन करें > मेरी बोली > शेष राशि का भुगतान करें।

नियम एवं शर्तेः-
1. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता https://www.iiflonehome.com पर अपना विवरण पहले से पंजीकृत कराना होगा और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपना "निविदा प्रपत्र" अग्रिम जमा राशि के भुगतान विवरण, केवाईसी की प्रति और पैन कार्ड के साथ उपरोक्त शाखा कार्यालय में जमा/भेजना होगा।
2. बोलीदाताओं को "बोली वृद्धि राशि" कॉलम में उल्लिखित राशि के गुणज में अपनी बोली में सुधार करना होगा। यदि बोली नीलामी समाप्ति समय के अंतिम 5 मिनट में लगाई जाती है, तो समाप्ति समय स्वतः ही 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को एओ द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी समायोजित करने के बाद) और सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का शेष 75% जमा करना होगा। सभी जमा और भुगतान निर्धारित भुगतान विधि से होंगे।
4. क्रेता को उपकर, लागू स्टाम्प शुल्क, फीस और अन्य वैधानिक बकाया या अन्य बकाया जैसे नगरपालिका कर, बिजली शुल्क, भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी करों और दरों सहित अन्य सभी आकस्मिक लागतें, शुल्क वहन करने होंगे।
5. क्रेता को बिक्री राशि के लेन-देन/भुगतान पर टीडीएस आवेदन देना होगा और आईआईएफएल एचएफएल के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
6. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और नीलामी आवेदन पत्र के लिए वेबसाइट https://www.iiflonehome.com और https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखें।
7. ई-नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी, सहायता प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ईमेल आईडी care@iiflonehome.com, सहायता हेल्पलाइन नंबर 1800 2672 499 पर संपर्क कर सकते हैं।
8. संपत्ति विवरण, संपत्ति के निरीक्षण और ऑनलाइन बोली आदि से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक IIFL HFL के टोल फ्री नंबर 1800 2672 499 पर कॉल करें या ईमेल care@iiflonehome.com पर लिखें।
9. उपरोक्त उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि वे भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े घरेलू सामान को 7 दिनों के भीतर एकत्र कर लें, अन्यथा IIFL-HFL परिस्थितियों में संपत्ति के किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।
10. इसके अतिरिक्त, ऋणी/ऋणियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त वस्तुएँ प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा।
11. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर किसी भी स्तर पर भुगतान में चूक की जाती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
12. एओ बिना कोई कारण बताए निविदा/नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा/नीलामी में किसी भी विवाद की स्थिति में, आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना

ऋणी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त राशि, अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित, निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करें। ऐसा न करने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और यदि कोई बकाया राशि होगी, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

स्थानः- उज्जैन/इन्दौर, दिनांकः 13-सितम्बर-2025 — एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड।